

7- परियोजना/स्कीम का स्थान

- (I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
(II) जिला
(III) वन प्रभाग
(IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)
(V) वन की कानूनी स्थिति

- (VI) हरियाली का घनत्व
(VII) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाय)

- (VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

- (IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

- (X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)।

- (XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।

- (XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।

- 8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

- 9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं है।

अधिशायी अभियन्ता, राजमार्ग खण्ड, लो0नि0विभाग कानपुर द्वारा जनपद हरदोई के अर्न्तगत राजमार्ग सं0-330डी किमी0-33.200 से किमी0-38.800 के मध्य कुल 5.60 किमी0 की दूरी में 2 लेन पेब्ड सोल्डर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 8.280 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश।

हरदोई।

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

8.280 हे0

संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) स्वामित्व-राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, कानपुर)

0.3 औसत

प्रभावित 1200 वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवार सूचना प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-96 से 131 तक संलग्न है।

भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।

शून्य

नहीं

नहीं

नहीं

हाँ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है।

नहीं।

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-

(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकर ।

(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।

(III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।

(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।

(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)

11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12-विभाग/जिला प्रोफाइल

(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

(II) जिले का वन क्षेत्र

(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

(IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13-प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।

तिथि:

स्थान-हरदोई

क्षतिपूरक वनीकरण कार्य सोनभद्र वन प्रभाग की रामगढ रेंज के अधीन मझुई कं० नं०-6 में क्षेत्रफल 23.10 हे० सकल क्षेत्रफल में से 16.56 हे० अवनत वन भूमि में रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है ।

भू-खण्ड का आकार समतल ।

प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-186-188 पर संलग्न है ।

वन खण्ड वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन भूमि वर्ग की उपलब्धता के अनुसार, कार्यदायी संस्था-प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र अवधि-2022-23 से 2025-26 एवं अनुरक्षण सहित कुल 10 वर्ष, लागत रु०-34.457 लाख

रु०-34.457 लाख

प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-31 पर संलग्न है ।

प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-50 पर संलग्न है ।

598900 हे०

11966.1962 हे०

स्वीकृत मामलों की संख्या-52 क्षेत्रफल-201.0076 हे०

1.0 हे०

शून्य

388.047 हे०

3283.544 हे० ।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है ।

(शशिकांत अमरेश)

प्रभागीय निदेशक,

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,

हरदोई ।

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई